

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 297]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 सितम्बर 2020—भाद्र 20, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2020

क्र. एफ ए 3-05-2019-1-पाँच (56).—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) (इसके पश्चात् जिसे “उक्त अधिनियम” से संदर्भित किया गया है) की धारा 164 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-05-2019-1-पाँच-(50), दिनांक 29 जून 2019, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में “21 जून, 2019” शब्द, कोष्ठक और अंक के स्थान पर, “21 अगस्त 2019” शब्द कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2020

क्र. एफ ए-3-05-2019-1-पाँच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-05-2019-1-पाँच (56), दिनांक 11 सितम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.

Bhopal, the 11th September 2020

No.F A-3-05-2019-1-V(56).—In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in this department's notification No. F A-3-05-2019-1-V (50) dated 29th June 2019, namely:—

In the said notification, for the figures, letters and words "21st day of June, 2019", the figures, letters and words "21st day of August, 2019" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RATNAKAR JHA, Dy. Secy.